



हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शिशमबाडा देहरादून,
पिन- 248011 उत्तराखण्ड, भारत

वेबसाईट: www.hnbumu.ac.in

नीट यू.जी.2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग (द्वितीय चरण)

अग्रिम शिक्षण शुल्क (Advance Tuition Fee) जमा करने एवं प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure) सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना

Procedure for admission(Already admitted students)

Seat upgraded from Govt College to another Government College	<ol style="list-style-type: none">1. Download allotment letter directly2. Report to admitted college of Round-I and complete seat withdrawal formalities3. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new medical college
Seat upgraded from one private medical college to another Private medical college	<ol style="list-style-type: none">1. Download allotment letter directly2. Report to admitted college of round-I and complete seat withdrawal formalities3. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new medical college
Seat upgraded from Private medical college to govt medical college	<ol style="list-style-type: none">1. Download allotment letter directly2. Report to admitted college of round-I and complete seat withdrawal formalities3. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new medical college4. Extra amount of advance tuition fee will be refunded by the University after completion of all round of Counselling
Seat upgraded from a Dental college to Private medical college	<ol style="list-style-type: none">1. Download allotment letter directly2. Report to admitted college of round-I and complete seat withdrawal formalities3. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new medical college4. Additional amount of advance tuition fee has to be paid directly to allotted college of round-II
Old college retained seat Upgraded	<ol style="list-style-type: none">1. Download allotment letter directly2. Submit to already admitted college of round-I
Old seat retained	No action is required

Procedure for admission(New Admission)

Step 1	Login to website with your login ID
Step-2	Pay the advance tuition fee as per allotted college & Quota
Step 3	Download advance tuition fee receipt online using your login ID.
Step 4	Download allotment letter using your login ID
Step 5	Report to allotted college with tuition fee receipt and other required documents enlisted below
Step 6	Balance amount of tuition fee and other applicable fee to be paid directly to college. For details contact the allotted college
Step 7	Collect your admission letter from the college.

- काउन्सिलिंग में बोर्ड द्वारा आन-लाईन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी समस्त सूचनाओं के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है। यह आवंटन प्रथम दृष्टया अस्थायी **(Provisional)** है।
- अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आवंटित सीट का **Allotment Letter** विश्वविद्यालय की बैवसाईट पर दिये गये लिंक से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
- अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि केवल **online (Net banking/Debit/Credit card/ Online Generated Bank Transfer Challan)** के माध्यम से ही ली जायेगी, अन्य किसी माध्यम यथा नकद/चैक/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. आदि से स्वीकार्य नहीं होगी।
- विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा की जाने वाली अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि का विवरण:-
-

क्र. स.	आवंटित संस्थान	राज्य कोटा		ऑल इण्डिया-मैनेजमेंट कोटा	अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि जमा करने का स्थान
		बॉण्ड सहित	बॉण्ड रहित		
	1	2	3	4	5
1	वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल पौडी।	50000/-	145000/-	लागू नहीं	Net Banking/Debit/Credit card/ Online Generated Bank Transfer Challan
2	सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोडा	50000/-	145000/-	लागू नहीं	
3	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून	लागू नहीं	145000/-	लागू नहीं	
4	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी	लागू नहीं	145000/-	लागू नहीं	
5	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौली ग्राण्ट देहरादून	लागू नहीं	1000000/-	1000000/-	
6	श्री गुरु राम रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज देहरादून	लागू नहीं	1000000/-	1000000/-	
7	गौतम बुद्ध चिकित्सा	लागू नहीं	1000000/-	1000000/-	

	महाविद्यालय, देहरादून			
8	सीमा डेण्टल कॉलेज ऋषिकेश	लागू नहीं	200000/-	200000/-
9	उत्तराचल डेण्टल एण्ड मेडिकल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून।	लागू नहीं	200000/-	200000/-

- सम्बन्धित आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा किये जाने वाले अग्रिम शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रवेश हेतु संस्थानवार आवश्यक अन्य शुल्क यथा शेष शिक्षण शुल्क धनराशि, प्रवेश शुल्क, धरोहर धनराशि, मैस शुल्क, छात्रावास शुल्क, क्रीडा शुल्क इत्यादि सम्बन्धित संस्थान स्तर पर ही जमा किये जायेंगे, जोकि सम्बन्धित संस्थान विषेश के पक्ष में ही देय होंगे। कृपया अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वेब साईट के अन्य लिंक **Documents related to college wise fee details** तथा **contact details** पर संस्थान विशेष के सम्बन्धित अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या के समक्ष संबंधित वांछित अभिलेख प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि (दिनांक 05.10.2024) तक उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा उसके द्वारा प्राचार्य/प्राचार्या के सम्मुख प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जाँच से यह ज्ञात होता कि अभ्यर्थी संबंधित निर्धारित मानकानुसार अर्हता नहीं रखता है, तो उसकी आवंटित सीट को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- नीट यू0जी0 2024 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है।
- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र-छात्रा को प्रवेश लिये जाने के समय समस्त वांछित आवश्यक मूल शैक्षणिक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी-उपश्रेणी, प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों से अभ्यर्थी की संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्हता का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। अतः संबंधित संस्थान अभ्यर्थी को प्रवेश देने से पूर्व उसकी अर्हता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रवेश दे।
- पाठ्यक्रम हेतु अर्हता, प्रमाण पत्रों (जाति/उपजाति/स्थाई/मूल निवास/शैक्षिक योग्यता इत्यादि) के संबंध में सूचना विवरणिका में प्रकाशित नियम/शर्तें ही मान्य होगी। प्रवेश हेतु अमान्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे और ना ही प्रमाण पत्र के स्थान पर किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit अथवा Acknowledgement मान्य होगा।
- द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रवेश लिये जाने हेतु अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 04 अक्टूबर 2024 है। इस तिथि के पश्चात द्वितीय चरण में आवंटित छात्र-छात्राओं की प्रवेश कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा प्रवेश ना लेने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा जमा धरोहर धनराशि (Security fee) भारत सरकार/एन0एम0सी0/एम0सी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त (forfeit) की ली जायेगी। यद्यपि ऐसे छात्र तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में पुनः नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं। इस हेतु इन्हे पृथक से पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
- ऐसे अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन **नहीं हुयी है** की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। **परन्तु तृतीय चरण काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।**

प्रथम बार सीट आवंटित छात्र-छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रिया:-

- * ऐसे छात्र-छात्राये जो प्रथम बार आवंटित सीट पर प्रवेश लेगे उनके द्वारा भी प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी होगी।

द्वितीय बार सीट आवंटित छात्र-छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रिया:-

- * ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्हें द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरूप नवीन सीट आवंटित हुयी है, के द्वारा यदि उपरोक्त तालिका अनुसार वाछित अग्रिम शुल्क धनराशि (द्वितीय चरण में आवंटित सीट के अनुसार) से अधिक अथवा बराबर धनराशि पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है, तो उन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि अग्रिम शिक्षण शुल्क के रूप में नहीं जमा करानी होगी। ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allotment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रूप से पूर्व प्रवेशित संस्थान में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल अभिलेख प्राप्त करते हुये कालेज स्तर अपग्रेड होने का प्रचार्य/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात वे नवीन आवंटित संस्थान में उक्तानुसार प्राप्त मूल अभिलेखों एवं पूर्व में जमा अग्रिम शुल्क धनराशि की रसीद सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी शेष प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगे। छात्रों द्वारा अधिक जमा अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि (यदि हो तो) को सम्पूर्ण चरणों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के एक माह के उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः आनलाईन वापस कर दिया जायेगा।
- * ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्हें द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरूप सीट आवंटित हुयी है, के द्वारा यदि उपरोक्त तालिका अनुसार वाछित अग्रिम शुल्क धनराशि (द्वितीय चरण में आवंटित सीट के अनुसार) से कम (न्यून) धनराशि पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है तो उन्हें वाछित अतिरिक्त अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि द्वितीय चरण में आवंटित सीट हेतु वाछित धनराशि तथा प्रथम चरण में प्रवेश के समय जमा अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि का अन्तर को नवीन आवंटित संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allotment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रूप से पूर्व प्रवेशित संस्थान में उपस्थित होकर अपने जमा समस्त मूल अभिलेखों प्राप्त करते हुये कालेज स्तर अपग्रेड होने का प्रचार्य/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात वे नवीन आवंटित संस्थान में उक्तानुसार प्राप्त मूल अभिलेखों एवं पूर्व में जमा तथा वाछित अतिरिक्त जमा नवीन शुल्क धनराशि की रसीद सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी शेष प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- * ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्हें द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर उसी संस्थान में आवंटित श्रेणी (क्षैतिज/उर्ध्व) में परिवर्तन (अपग्रेड) अथवा आल-इण्डिया-मैनजमेन्ट कोटे से राज्य कोटे में अपग्रेड होने के फलस्वरूप नवीन सीट आवंटित होती है, के द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि अग्रिम शिक्षण शुल्क के रूप में नहीं जमा करानी होगी। ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allotment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रूप से आवंटित संस्थान में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपना डाउनलोड Allotment Letter संस्थान में जमा करते हुये अपनी प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- * पूर्व में प्रथम चरण में प्रवेशित जिन अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण में किसी अन्य संस्थान में सीट अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, उन्हें कोई भी कार्यवाही नहीं करनी है। उनका पूर्व आवंटित संस्थान में प्रवेश यथावत रहेगा।
- प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य शेष नियम व शर्तें Information Bulletin के ADMISSION PROCEDURE के अनुसार यथावत रहेंगी।

ADMISSION PROCEDURE

- Download allotment letter
- Follow the instructions regarding payment of centralized advance tuition fee available on the allotment letter & as notified above.
- Candidate should report personally to the allotted college along with the following documents in original for completion of further admission process within specified period

- 1- Copy of allotment letter
 - 2- Payment of centralized advance tuition fee (to be deposited at the admitted college).
 - 3- High School (10th) Certificate for Age proof.
 - 4- Intermediate (10+2) Certificate.
 - 5- Intermediate (10+2) Mark sheet
 - 6- NEET UG 2024 Admit Card (issued by NTA)
 - 7- NEET UG 2024 Result/Rank letter (issued by NTA)
 - 8- Certificate of Reserve category, if applicable.
 - 9- Certificate of Sub Category, if applicable. (for Domicile/Permanent resident of Uttarakhand only)
 - 10- PWD category certificate issued by the Special Medical Board constituted by the Director General Medical Health & Family welfare, Uttarakhand only, if applicable.
 - 11- Certificates required for Ward of Kashmiri Migrants, if applicable.(please refer to Information bulletin)
 - 12- Domicile Certificate (For Uttarakhand candidate only, if applicable)
 - 13- Valid ID proof (preferably Aadhaar Card/Passport/ PAN card/driving license etc)
 - 14- Other document as per the requirement of the concerned college (kindly visit the college website or contact the concerned person)
 - 15- Payment of remaining fee amount (tuition fee/hostel/mess charges etc as per the allotted college) to be deposited at the admitted college.
 - After doing the above mentioned formalities/procedure, the admission process will only be completed once the candidate gets the admission letter issued by the concerned college within the specified time period mentioned in the allotment letter. Hence, the candidates are required to make necessary arrangement from his/her side well in time to complete the whole admission process within the specified time period of that particular round.
 - Candidates who have deposited their original documents with any other Institute/ College/ University and come for admission with a certificate stating that "their original certificates are deposited with the Institute / College / University" will **NOT** be allowed to take admission in allotted Medical/Dental College.
- शेष नियम व शर्तें Information Bulletin में वर्णित प्राविधानुसार यथावत रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे Information Bulletin का भली भाँति अध्ययन कर लेवे।
 - भविष्य में प्रवेश/काउंसिलिंग सम्बन्धी अद्यतन सूचनाएँ/अपडेट समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन अवश्य करते रहें।
 - तृतीय चरण काउन्सिलिंग कार्यवाही हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

नोटिस प्रकाशन तिथि – 28.09.2024

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2024
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड